(3)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R-1157-तीन/14

1. सुरेन्द्र सिंह पिता स्व. रामसुंदर सिंह
2. रामपाल सिंह पिता जगदीश सिंह
3. कृष्णराज सिंह पिता स्व. शिवदयाल सिंह

सभी निवासी ग्राम दुआरी, तहसील हुजूर, जिला –रीवा (म.प्र.)

– आवेदक / आपत्तिकर्तागण

बनाम

1. श्यामराज सिंह पिता स्व. राजभान सिंह निवासी ग्राम –दुआरी, तह.– हुजूर, जिला रीवा

–प्रार्थी / केता / अनावेदक

2. लालमणि सिंह
3. सौखीलाल
4. दयानन्द सिंह
5. रावेन्द्र सिंह

चारों के पिता चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम दुआरी तहसील हुजूर, जिला – रीवा म.प्र.

– विकेता / प्रति प्रार्थी / अनावेदकगण

श्री कृष्णभान सिंह ..एड
द्वारा आज दिनांक 5.5.2014 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील हुजूर जिला रीवा रा. प्रकरण क. 145/अ–6/13–14 आदेश दिनांक 04.03.2014

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 ई.

7-5-14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : R.11571 /III/ 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 145/अ-6/13-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-3-14 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी मेमो में दिये गये तथ्यों पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ अभिभाषक के तर्कानुसार तहसीलदार व्दारा 31-10-13 के वाद तर्क के लिये 13-2-14 तिथि नियत की, इसके वाद 24-02-14, उसके वाद 20-3-14 तर्क हेतु तिथि दी गई किन्तु आर्डरशीट को काटछॉट कर 20-3-14 के स्थान पर 4-3-14 कर दी गई एंव इसी दिन आवेदक को सुने बिना आपत्ति खारिज कर दी गई। 4/ तहसीलदार के प्र. क. 145/अ-6/ 13-14 की आर्डरशीट दि. 31-10-13 एंव उसके वाद की पेशियों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन पर पाया गया 31-10-13 के वाद 11-11-13 की तिथि नियत की गई है जो पक्षकारों ने नोट की है। उसके वाद 11-11-13 , 10-12-13 को	

प्रकरण लिया गया एंव 23–12–13 की तिथि नियत हुई जिसे आर्डरशीट के हासियें में पक्षकारों ने नोट किया है। दिनांक 23–12–13 के वाद 16–1–14 को प्रकरण लिया जाकर आपत्ति के जवाव के लिये लगाया गया तथा दिनांक 27–1–14 पेशी नियत हुई जो पक्षकारों ने आर्डरशीट के हासिये में टीप की है। तदुपरांत 13–2–14 को प्रकरण लिया गया और आपत्ति का उत्तर प्रस्तुत हुआ एंव सुनवाई हेतु 24–2–14 की तिथि नियत हुई जो आर्डरशीट के हासियें में पक्षकारों ने टीप की है। तदुपरांत आगामी पेशी 24–2–14 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ एंव वाद में उपस्थित होकर पक्षकारों ने आगामी तिथि 4–3–14 टीप की है। दिनांक 4–3–14 को प्रकरण लिया जाकर विकय पत्र से असंतुष्ट होने पर सक्षम न्यायालय में जाने का सुझाव लिखते हुये , राजस्व न्यायालय व्दारा विकय पत्र निरस्त करने के अधिकार न होने के कारण आपत्ति निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी वास्तविक तथ्यों के विपरीत पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य